



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224912  
CG-DL-E-03022021-224912

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2021/माघ 14, 1942

No. 462]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2021/MAGHA 14, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

का.आ. 508(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इस आदेश को औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 कहा जा सकता है।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 में, अनुसूचि-I में, क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रविष्ट की जाएंगी, अर्थात्: -

-32-पशुओं के उपयोग के लिए दवाइयां	
32.1	पैर और मुंह कीबीमारी (ट्रिवलेंट) के लिए तेल ऐजवन्ट वैक्सीन
32.2	ब्रुसेला एबोर्टस (एस19 स्ट्रेन) वैक्सीन, लाइव फ्रीज ड्राइड

[फा.सं. 31026/78/2020-मूल्य निर्धारण]

रजनीश तिगल, संयुक्त सचिव

**नोटः**—प्रधान आदेश भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 15 मई, 2013 को का.आ. संख्या 1221(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया: -

- (i) का.आ. सं. 686(अ) दिनांक 9 मार्च, 2015;
- (ii) का.आ. सं.1233(अ) दिनांक 8 मई, 2015;
- (iii) का.आ. सं.701(अ) दिनांक 10 मार्च, 2016;
- (iv) का.आ. सं.1192 (अ) दिनांक 22 मार्च, 2016;
- (v) का.आ. सं.4100 (अ) दिनांक 21 दिसंबर, 2016; तथा
- (vi) का.आ. सं.39 (अ) दिनांक 3 जनवरी, 2019।

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

**S.O. 508(E).**— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 2013, namely.—

1. **Short title and commencement.**- (1) This Order may be called the Drugs (Prices Control) Amendment Order, 2021.  
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Drugs (Prices Control) Order, 2013, in SCHEDULE-I, after the serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

-32-Medicines for animal use	
32.1	Foot and Mouth Disease (Trivalent) Oil adjuvant vaccine
32.2	Brucella Abortus (S19 strain) Vaccine, Live Freeze Dried

[F. No. 31026/78/2020-Pricing]

RAJNEESH TINGAL, Jt. Secy.

**Note:**—The principal order was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No.1221 (E) dated the 15<sup>th</sup> May, 2013 and was subsequently amended vide the following notifications:—

- (i) S.O. No.686(E) dated the 9<sup>th</sup> March, 2015;
- (ii) S.O. No.1233(E) dated the 8<sup>th</sup> May, 2015;
- (iii) S.O. No.701(E) dated the 10<sup>th</sup> March, 2016;

- 
- (iv) S.O. No.1192(E) dated the 22<sup>nd</sup> March, 2016;
- (v) S.O. No.4100(E) dated the 21<sup>st</sup> December, 2016; and
- (vi) S.O. No.39(E) dated 3<sup>rd</sup> January, 2019.